अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2016 अनवानी श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा निवासी 7–डी–44 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.11.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> 1– माह फरवरी 2015 में माननीय प्रधानमन्त्री, भारत सरकार नई दिल्ली श्री नरेन्द्र जी मोदी के श्रीगंगानगर राजकीय दौरे पर पधारने पर जो कुल खर्च हुआ उस राशि की सूचना।
> 2– किस–किस मद में कितनी राशि खर्च की गयी उसकी सूचना व भुगतान किये गये राशि व रकम की सूचना।
> 3– व्यय की गई राशि किस मद में राजकीय खर्च में दिखायी गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 4– राज्य सरकार द्वारा जो राशि उपरोक्त कार्य हेतु उपलब्ध करवायी जाती है व उपलब्ध करायी गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी (पूल) कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने प्रतिवेदन संख्या 162 दिनांक 23.02.2016 के साथ अपीलार्थी को दिये गये उतर क्रमांक सीजी/स्टोर/2015/1939 दिनांक 04.12.15 की प्रति प्रस्तुत की है जिस अनुसार अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.15 द्वारा वांछित सूचना 11 पेज की है। अतः 2 रूपये प्रति पेज की दर से रूपये 22/–रूपये जमा करवाये ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में प्रभारी अधिकारी (पूल) कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.12.2015 को निर्धारित अवधि में सूचित किया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी को उक्तानुसार राशि करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए थी। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रभारी अधिकारी (पूल) कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उक्त राशि जमा करवा दे तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, पूल शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर